न्यायालय संभागीय आयुक्त, बीकानेर संभाग, बीकानेर
पीठासीन अधिकारी श्री हनुमान सहाय मीना, आई.ए.एस

अपील संख्याः 156/2015 एल.आर.एक्ट

1. शंकरलाल पुत्र नानूराम जाति नाई साकिन चक 4 पीटीडी (ए) तहसील श्रीविजयनगर जिला श्रीगंगानगर ।
2. प्रेमकुमार पुत्र कालूराम
3. ओमप्रकाश पुत्र श्योजीराम
4. रामकुमार पुत्र कालूराम
5. संदीप पुत्र नानूराम
6. काशीराम पुत्र नानूराम — जाति नाई साकिन चक 4पीटीडी(ए)
7. सादुलाराम पुत्र नानूराम — तहसील श्रीविजयनगर
8. राकेशकुमार पुत्र साहबराम — जिला श्रीगंगानगर ।
9. कृष्णलाल पुत्र कालूराम
10. ज्याणीदेवी पुत्र कालूराम
11. रामेश्वरी पुत्र कालूराम
12. जयपाल पुत्र कालूराम

अपीलान्ट्स

.....

बनाम

1. हजारीराम — पिसरान श्योजीराम जाति नाई साकिन चक 1 पीटीडी (बी)
2. बनवारी — तहसील श्रीविजयनगर ।
3. धन्नी पुत्री श्योजीराम जाति नाई साकिन पुरानी आबादी संगरिया ।
4. रामप्यारी पुत्री श्योजीराम जाति नाई साकिन श्योपुरा तहसील सूरतगढ ।
5. पदमा बेवा श्योजीराम जाति नाई साकिन 1पीटीडी तहसील श्रीविजयनगर ।
6. शान्ति बेवा मनीराम — जाति नाई साकिन 2पीटीडी तहसील
7. कानाराम पुत्र मनीराम — श्री विजयनगर ।
8. संजय — पिसरान दलीप जाति नाई साकिन 2पीटीडी तहसील
9. साहिल — श्रीविजयनगर ।
10. सन्तोष बेवा दलीप जाति नाई साकिन चक 2पीटीडी तह0 श्रीविजयनगर ।
11. दुर्गा पुत्री कालूराम जाति नाई साकिन चक 3के. मिरजेवाला तह0श्रीगंगानगर ।
12. सरिता पुत्री कालूराम जाति नाई साकिन गोगामेड़ी तहसील श्रीविजयनगर ।
13. गुड्डी पुत्री नानूराम जाति नाई साकिन मिरजेवाला तहसील श्रीगंगानगर ।
14. सरबती पुत्री नानूराम जाति नाई साकिन दौलतपुरा जिला श्रीगंगानगर ।
15. विजय कुमार
16. पवन कुमार
17. रामदेवी — पिसरान एवं बेवा लालचन्द जाति नाई
18. विद्यादेवी पुत्री — साकिन चक 2 पीटीडी तहसील श्रीविजयनगर ।
19. गुड्डी बेवा
20. इन्द्रा पुत्री साहबराम जाति नाई साकिन पण्डितावाली तहसील पीलीबंगा ।
21. हेतराम
22. अनुसुईया — पिसरान लिछीराम जाति नाई साकिन भोपालपुरा
23. सुनीता — एवं धान्धु तहसील सूरतगढ ।
24. सीता

संभागीय आयुक्त
बीकानेर

25. महावीर पुत्र नानूराम जाति नाई साकिन चक 4पीटीडी तहसील श्रीविजयनगर ।
26. मोहनी बेवा लिछीराम जाति नाई साकिन चक 1पीटीडी तहसील श्रीविजयनगर ।
27. राजस्थान सरकार ।

.....रेस्पोन्डेंट्स

उपस्थितः 1– श्री विजयकुमार पारीक –अभिभाषक अपीलान्ट्स ।
2– सुभाष सहू – राजकीय अभिभाषक
अनुपस्थितः 1– श्री महेश सींवर – अभिभाषक रेस्पोन्डेंट सं0 1,2,21,22,23,26

निर्णय

दिनांक 20.5.2019

1. यह द्वितीय अपील राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 76 के अन्तर्गत न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर, सूरतगढ जिला श्रीगंगानगर के निर्णय दिनांक 26.10.2015 जिसके द्वारा रेस्पोन्डेंट सं0 1 व 2 की प्रथम अपील सं0 115/2014 अनवान हजारी राम बनाम पदमादेवी स्वीकार करते हुए तहसीलदर श्रीविजयनगर द्वारा स्वीकृत विरास्तन नामान्तरकरण सं0 53 दिनांक 7.3.94 खारिज कर वसीयत दिनांक 5.9.75 के अनुसार वसीयति इन्तकाल दर्ज करने के आदेश दिये गये, के विरुध्द इस न्यायालय में प्रस्तुत हुई है ।
2. अपील के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि मुताबिक जमाबन्दी संवत 2070 अनुसार चक 1पीटीडी (बी) तहसील श्रीविजयनगर के पत्थर नं0 226/369 मुरब्बा नं0 1 में 6.325 हैक्टेयर भूमि नानूराम–कालूराम– मनीराम–लालचन्द–ओमप्रकाश–लिछीराम–हजारीराम–बनवारी पि0 श्योजीराम व पदमा पत्नी श्योजीराम, धन्नीराम, रामप्यारी पुत्रियां श्योजीराम जाति नाई साकिन देह के नाम से बहिस्सा बराबर खातेदारी की राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज थी । इनमें से हजारी राम व बनवारीलाल (रेस्पोन्डेंट सं0 1 व 2) के द्वारा न्यायालय में अतिरिक्त जिला कलक्टर, सूरतगढ के समक्ष प्रथम अपील सं0 115/2014 अनवान हजारी राम बनाम पदमा देवी वगैरह प्रस्तुत कर निवेदन किया विवादित भूमि अपीलान्ट के पिता श्योजीराम के नाम से आवंटित थी, जिनके द्वारा अपने जीवनकाल में समस्त रकम जमा करवाई गयी । श्योजीराम ने अपने जीवनकाल में अपीलार्थीगण व रेस्पोन्डेंट सं0 27 से 30 पति/पिता के पक्ष में दिनांक 5.9.1975 को वसीयत का निष्पादन किया, जिसकी जानकारी श्योजीराम के वारिसान को थी । किन्तु तहसीलदार, श्रीविजयनगर द्वारा अपीलार्थी को बिना सुनवाई का अवसर प्रदान किये, उक्त विवादित भूमि का विरास्तन इन्तकाल दिनांक 27.3.94 को दर्ज कर दिया । जबकि कब्जा मुताबिक वसीयत अपीलार्थीगण का है । अतः विरास्तन इन्तकाल दिनांक 27.3.94 निरस्त किया जावे ।
3. न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर, सूरतगढ के समक्ष उक्त अपील प्रस्तुत होने पर बाद सुनवाई रेस्पोन्डेंटगण सं0 1 ता 23, 25,26,29,30 एवम् 24,27,28,31 द्वारा जवाब पेश कर अपील स्वीकार किया जाने में रेस्पोन्डेंटगण की कोई आपत्ति नहीं होना लिखा गया । इस पर अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलार्थीगण की अपील स्वीकार की जाकर विरास्तन इन्तकाल सं0 53 दिनांक 7.3.94 को खारिज कर वसीयत दिनांक 5.9.75 अनुसार वसीयति इन्तकाल दर्ज करने के आदेश दिये, जिससे व्यथित होकर अपीलान्ट्स द्वारा यह द्वितीय अपील इस न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत की गयी है ।

संभागीय आयुक्त
बीकानेर

4. अपील प्रस्तुत होने पर रेस्पोन्डेंट को तलब किया गया एवं अधीनस्थ न्यायालय का रिकॉर्ड प्राप्त किया । प्रकरण में उभय पक्ष की बहस सुनी गयी ।

5. विद्वान अभिभाषक अपीलान्ट ने लिखित बहस प्रस्तुत कर अपनी बहस में बताया कि मुताबिक सेल रजिस्टर श्योजीराम का दिनांक 16.1.1978 को देहान्त होने के पश्चात मुताबिक सेल रजिस्टर विरास्तन इन्तकाल सं0 2/1.8.79 दर्ज हुआ है । उक्त विरास्तन इन्तकाल होने के 35 वर्ष पश्चात रेस्पोन्डेंट सं0 1–2 के द्वारा अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष मियाद बाहर अपील पेश की गयी, जिसमें अधीनस्थ न्यायालय द्वारा खातेदारी का इन्तकाल सं0 53 निरस्त किया गया है । यह कि रेस्पोन्डेंट सं0 1 व 2 के द्वारा अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रथम अपील पेश कर कहा गया कि हमारे पक्ष में पिता श्योजीराम द्वारा दिनांक 5.9.75 को वसीयत कर दी थी । जबकि उक्त विवादित भूमि की खातेदारी सन्नद दिनांक 15.2.94 को जारी की गयी एवं खातेदारी का इन्तकाल स0 53 दिनांक 3.5.94 स्वीकृत हुआ है। इस प्रकार दिनांक 5.9.75 को गैर खातेदारी भूमि की वसीयत निष्पादित की गयी, जो राज. टीनेन्सी एक्ट की धारा 39 एवं आरआरडी 2012 पेज 104, आरआरडी 1998 पेज 23 के अनुसार शून्य थी । किन्तु अधीनस्थ न्यायालय ने वसीयत के आधार पर इन्तकाल दर्ज करने का आदेश दिया है । इसके अलावा अधीनस्थ न्यायालय द्वारा जो इन्तकाल सं0 53 दिनांक 7.3.94 खारिज किया गया है, जो कि विरास्तन न होकर खातेदारी का इन्तकाल दर्ज इन्तकाल है । इस प्रकार अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष जो प्रथम अपील पेश की गयी, वह डिफेक्टिव थी । प्रथम अपील में अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किये गये जवाब दिनांक 16.10.2015 में 40 व्यक्तियों के एक साथ फर्जी तौर पर हस्ताक्षर व अंगूठे करवाये गये हैं, जिनमें किसी के पिता का नाम दर्ज नहीं है । इनमें से दो व्यक्ति साहबराम व मनीराम वर्ष 1992 व 2014 में देहान्त हो गया था । प्रकरण में अपीलार्थीगण को अधीनस्थ न्यायालय द्वारा सुनवाई का कोई अवसर प्रदान नहीं किया तथा अपीलार्थीगण के फर्जी हस्ताक्षर व अंगूठे किये गये हैं, जिस पर इनके विरुध्द एफ.आईआर दर्ज करवाई गयी, चालान पेश हआ तथा माननीय उच्च न्यायालय से इनकी जमानत हुई है । यह कि प्रथम अपील न्यायालय द्वारा सरसरी तौर पर आदेश पारित किया है, स्पीकिंग ऑर्डर नहीं है । प्रथम अपील स्पष्टतया 35 वर्ष मियाद बाहर थी एवं मियाद बिन्दु तय किये बिना अपीलाधीन आदेश पारित किया है । जबकि आरआरडी 1990 पेज 98, आरआरडी 2011 पेज 388, आरआरी 1991 पेज 164 के अनुसार अपीलाधीन आदेश से पूर्व मियाद बिन्दु तय किया जाना मैन्डेटरी है। अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार फरमाई जाकर न्यायालय अति0जिला कलक्टर सूरतगढ का अपीलाधीन आदेश दिनांक 26.10.15 निरस्त फरमाया जावे ।

6. राजकीय अभिभाषक का कथन है कि अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष रेस्पोन्डेंट पक्षकारान द्वारा प्रस्तुत किये गये जवाब में अपील में अंकित तथ्यों को स्वीकार किया एवं कोई एतराज व्यक्त नहीं करने के आधार पर अपीलाधीन आदेश पारित कर रेस्पोन्डेंट सं0 1–2 की अपील स्वीकार की गयी है । अतः अपील अपीलान्ट निरस्त फरमाइ जावे।

7. हमने अभिभाषक अपीलान्ट एवं राजकीय अभिभाषक की बहस को मध्यनजर रखते हुए उपलब्ध अभिलेख का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया । प्रकरण अनुसार विवादित भूमि चक 1पीटीडी (बी) तहसील श्रीविजयनगर के प.नं. 226/369 मु0नं0 1 बी 6.325 हैक्टेयर भूमि श्योजीराम के नाम दर्ज थी एवम् श्योजीराम का देहान्त होने के पश्चात उसके वारिसान के नाम बहिस्सा बराबर दर्ज हुई । विवादित भूमि की खातेदारी सनद

संभागीय आयुक्त
बीकानेर

दिनांक 15.2.94 को जारी हुई, जिसका खातेदारी इन्तकाल सं0 53 दिनांक 3.5.94 स्वीकृत हुअ । प्रकरण में रेस्पोन्डेंट सं0 1–2 के द्वारा वसीयत दिनांक 5.9.75 के आधार पर इन्तकाल सं0 53 दिनांक 7.3.94 को निरस्त करवाये जाने हेतु न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर, सूरतगढ़ के समक्ष प्रथम अपील सं0 115/2014 अनवान हजारीराम वगैरह बनाम पदमादेवी वगैरह प्रस्तुत की गयी । उक्त अपील में पक्षकारान द्वारा कोई आपत्ति नहीं करने के आधार न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर, सूरतगढ द्वारा रेस्पोन्डेंट सं0 1–2 की प्रथम अपील स्वीकार की जाकर इन्तकाल सं0 53 दिनांक 7.3.94 खारिज किया जाकर वसीयत अनुसार नामान्तरकरण दर्ज करने के आदेश दिये गये, जिसके विरुध्द अपीलान्ट्स द्वारा इस न्यायालय में द्वितीय अपील पेश की गयी है।

I. अभिभाषक अपीलान्ट्स ने अपील में प्रथम आधार यह लिया है कि रेस्पोन्डेंट सं0 1–2 के द्वारा विरास्तन इन्तकाल निरस्त करवाये जाने हेतु प्रथम अपील 35 वर्ष पश्चात् अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष पेश की गयी है, जिसमें मियाद बिन्दु तय किये बिना प्रथम अपील स्वीकार की गयी है ।

न्यायालय के अनुसार अपीलान्ट की यह आपत्ति स्वीकार योग्य है । रेस्पोन्डेंट सं01 व 2 के द्वारा विरास्तन इन्तकाल को निरस्त करवाये जाने हेतु प्रथम अपील पेश की गयी, जो स्पष्टतः मियाद बाहर थी । अधीनस्थ न्यायालय द्वारा मियाद बिन्दु तय किये बिना अपील अपीलान्ट स्वीकार की गयी है, जबकि विलम्ब के बिन्दु पर यह स्पष्ट सिध्दान्त है कि सर्वप्रथम मियाद बिन्दु का विवेचन व निर्णय के पश्चात विलम्ब सन्तोषप्रद व पर्याप्त कारण से क्षम्य हो तभी अपील के गुणावगुणों पर निर्णय किया जाना चाहिये ।

II. अभिभाषक अपीलान्ट्स ने अपील में द्वितीय आधार यह लिया है कि रेस्पोन्डेंट सं1 व 2 के द्वारा अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष विरास्तन इन्तकाल दिनांक 7.3.94 को निरस्त करवाये जाने हेतु प्रथम अपील पेश की गयी है, जो डिफेक्टिव थी, क्योंकि दिनांक 7.3.94 को पटवारी हल्का द्वारा खातेदारी का इन्तकाल सं0 53 दर्ज किया गया, जिसे तहसीलदार द्वारा दिनांक 3.5.94 को स्वीकृत किया गया है ।

न्यायालय के अनुसार अभिभाषक अपीलान्ट का कथन स्वीकार योग्य है । क्योंकि रेस्पोन्डेंट सं0 1 व 2 के द्वारा अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष विरास्तन इन्तकाल दिनांक 7.3.94 को निरस्त करवाये जाने हेतु प्रथम अपील पेश की गयी है, जबकि दिनांक 7.3.94 को पटवारी हल्का द्वारा खातेदारी का इन्तकाल दर्ज किया गया, जिसे तहसीलदार द्वारा दिनांक 3.5.94 को स्वीकृत किया गया है । इस प्रकार रेस्पोन्डेंट सं0 1–2 के द्वारा खातेदारी हेतु पटवारी हल्का द्वारा दर्ज किये गये इन्तकाल सं0 53 दि07.3.94 के विरुध्द प्रथम अपील पेश की गयी, जो त्रुटिपूर्ण थी ।

III. अभिभाषक अपीलान्ट्स ने अपील में तृतीय आधार यह लिया है कि मूल आवंटी श्योजीराम द्वारा दिनांक 5.9.75 को गैर खातेदारी भूमि का वसीयत निष्पादित की गयी है, जो काश्तकारी अधि0 की धारा 39 अनुसार शून्य थी ।

न्यायालय के अनुसार अभिभाषक अपीलान्ट का कथन स्वीकार योग्य है । क्योंकि राजस्थान टेनेन्सी एक्ट की धारा 39 के अनुसार खातेदारी आसामी ही अपने हित को व्यक्तिगत कानून के अनुसार वसीयत में दे सकता है । प्रकरण

संभागीय आयुक्त
बीकानेर

में विवादित भूमि की वसीयत की दिनांक 5.9.75 को गैर खातेदारी की रही है तथा उक्त भूमि की दिनांक 5.2.94 को खातेदारी सनद जारी हुई है ।

IV. अभिभाषक अपीलान्ट्स ने अपील में चतुर्थ आधार यह लिया है अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष रेस्पोन्डेंटस की ओर से एक साथ 40 व्यक्तियों के फर्जी अंगूठे व हस्ताक्षर करवाये जाकर अपील स्वीकार करने हेतु जवाब पेश करवाया गया है, जिस पर अपील स्वीकार की गयी है । रेस्पोन्डेंट के विरुध्द फर्जी कार्यवाही के लिए एफआईआर दर्ज करवाई गयी तथा पुलिस द्वारा बाद जांच न्यायालय में चालान पेश किया गया है ।

न्यायालय के अनुसार यह सही है कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपील में रेस्पोन्डेंट्स द्वारा प्रस्तुत जवाब के आधार पर प्रथम अपील स्वीकार की जाकर वसीयत अनुसार इन्तकाल दर्ज करने के आदेश दिये गये हैं । अभिभाषक अपीलान्ट्स द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज अनुसार रेस्पो0 नं01 हजारीराम व रेस्पोन्डेंट सं02 बनवारीलाल पि0 श्योजीराम व भालाराम पुत्र हजारीराम तथा हेतराम पुत्र लिछीराम के विरुध्द थानाधिकारी पुलिस थाना रामसिंहपुर में एफ.आई.आर दर्ज करवाये जाने पर बाद जांच पुलिस द्वारा दिनांक 17.7.16 को न्यायालय में चालान पेश किया गया तथा माननीय उच्च न्यायालय से इनकी जमानत हुई है।

8. उपरोक्त विवेचन अनुसार रेस्पोन्डेंट सं0 1 व 2 के द्वारा अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष विरास्तन इन्तकाल को निरस्त करवाये जाने हेतु 35 वर्ष पश्चात मियाद बाहर अपील अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत की गयी, जिसमें विरास्तन इन्तकाल दर्ज होने की दिनांक 7.3.94 अंकित की गयी, जो त्रुटिपूर्ण थी । अधीनस्थ न्यायालय द्वारा मियाद बिन्दु तय किये बिना रेस्पोन्डेंट सं0 1–2 के द्वारा प्रस्तुत जवाब अनुसार प्रथम अपील को स्वीकार किया गया है । जबकि फर्जकारी के सम्बन्ध में रेस्पोन्डेंट हजारीराम व बनवारीलाल वगैरह के विरुध्द पुलिस द्वारा बाद जांच न्यायालय में चालान पेश किया गया है । इसके अलावा वसीयत को निष्पादित होने की तिथि को विवादित भूमि गैरखातेदारी की रही है । नियमानुसार गैर खातेदारी भूमि की वसीयत नहीं हो सकती है। अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार की जाकर न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर, सूरतगढ का अपीलाधीन आदेश दिनांक 26.10.15 निरस्त किया जाता है तथा पूर्व में दर्ज किया गया विरास्तन व खातेदारी का इन्तकाल यथावत रखा जाता है ।

9. तद्नुसार अपील अपीलान्ट निर्णित शुमार होकर नम्बर से कम हो। निर्णय की प्रति अपील पत्रावली में शामिल की जाकर पत्रावली बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो। निर्णय आज दिनांक 20.5.2019 को लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(हनुमान सहाय मीना)
सम्भागीय आयुक्त
बीकानेर